(2007) 4 SCR

भारतीय स्टेट बैंक

बनाम

विजय कुमार

मार्च 26, 2007

[डा0. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136-- ऋण वसूली कार्यवाही-समझौता विलेख भुगतान हेतु समय सारणी निर्धारित करना और चूक खण्ड - समय में भुगतान में चूक - बैंक द्वारा सम्पूर्ण डिक्रीत राशि का दावा किया गया - प्रतिवादी द्वारा समय में भुगतान की कठिनाईयों को इंगित करते हुये रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के रूख को स्वीकार किया और चूक अवधि के लिये 10.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया - अपील, पर अभिनिर्धारित, प्रतिवादी ने चूक अवधि के लिये ब्याज सहित सम्पूर्ण भुगतान कर दिया था - इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता - बैंक

ने कभी भी यह संकेत नहीं दिया था कि समय सारणी का पालन करने में विफलता के कारण समझौता विफल हो गया है, इसलिए भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए जाने के लिये यह उपयुक्त मामला नहीं है।

अपीलार्थी बैंक द्वारा डी.आर.टी. के समक्ष वसूली याचिका दायर की। मामला लोक अदालत को भेजा गया, जहाँ निपटान की शर्तों को निर्धारित करते हुये एक समझौता विलेख दायर किया गया। समझौता विलेख द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि प्रतिवादी समझौता राशि 31 मार्च 2004 तक जमा करवायेगा और समय सारणी के अनुसार भुगतान की चूक के परिणामों को निर्धारित करने के लिये एक विफलता खण्ड भी निर्धारित था। डी.आर.टी. द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी द्वारा भुगतान में चूक की गई। अपीलार्थी बैंक द्वारा यह आधार उठाया गया कि चूंकि प्रतिवादी द्वारा समझौते/निपटान की शर्तों की पालना नहीं की गई है। इसलिए वह सम्पूर्ण डिक्रीत राशि की वसूली का हकदार है।

प्रतिवादी द्वारा समय सीमा में भुगतान नहीं किया जा सका, के संबंध में कठिनाईयों को दर्शाते हुये उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपील को अनुमत किया गया तथा प्रतिवादी द्वारा उठाए गए आधार को स्वीकार किया कि हालांकि प्रतिवादी की ओर से चूक हुई थी, पूर्ण राशि का भुगतान चूक अवधि के लिये 45000/-रूपये ब्याज राशि सहित दिनांक 12 जुलाई 2004 तक कर दिया गया था। आगे यह अभिनर्धारित किया कि प्रतिवादी की कठिनाईयाँ सही थी और समझौते पर कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु बैंक को चूक अवधि के लिये 10.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलने के लिये निर्देशित किया। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः 1. आम तौर पर, जब समझौते की शर्तों की विफलता के लिये विफलता खण्ड उपलब्ध है तो उसे क्रियान्वित किया जाता है। इसलिये विशिष्ट विशेषताओं में अपीलार्थी बैंक विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुये क्लेम का निपटान करने

के लिये सहमत हुआ। यह सत्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा गलती से यह दर्ज किया गया कि 2,00,000/-रूपये का भुगतान निर्धारित अवधि में कर दिया गया। दिलचस्प तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अपीलार्थी बैंक द्वारा ब्याज राशि 29,353/-रूपये वसूल की गई। [पैरा 7 और 8] [477-जी-एच; 478-ई]

2. अंतिम भुगतान करने से पहले अपीलार्थी बैंक ने किसी भी समय यह संकेत नहीं दिया कि समय-सारिणी का पालन करने में विफलता के कारण समझौता विफल हो गया है, उपरोक्त स्थिति होने से भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए जाने के लिये यह उपयुक्त मामला नहीं है। [पैरा 9 और 10] [478-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील 1573

सी.डब्ल्यू.पी. नं. 15032/2005 में चण्डीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.05.2006 से।

संजय कपूर, शुभ्रा कपूर, राजीव कपूर और आरती सिंह अपीलार्थी की ओर से।

राजीव के. गर्ग, आशीष गर्ग और अन्नम डी.एन.राव प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ0. **अरिजीत पसायत , जे.**

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील द्वारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमत किया गया है।

3. पृष्ठभूमि के जो तथ्य है, वे लगभग निर्विवादित हैं जो इस प्रकार है:

अपीलार्थी बैंक द्वारा ऋण वसूली अधिकरण चण्डीगढ़ (संक्षेप में 'डीआरटी') के समक्ष एक वसूली याचिका प्रस्तुत की गई। दावाकृत राशि 14,92,295.99/-रूपये थी। डिक्री पारित की गई और अपीलार्थी बैंक द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई। लोक अदालत में समझौते की विभिन्न शर्तों को निर्धारित करते हुये एक समझौता विलेख दायर किया गया। प्रासंगिक शर्त यह थी कि प्रतिवादी को समझौता/निपटान राशि का 20% 30 दिनों के भीतर यानि 28 दिसम्बर 2003 या उससे पूर्व जमा कराना था और शेष राशि 8,00,000/-रूपये का समान मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक किश्तों में 31 मार्च 2004 या उससे पहले भुगतान करना था। समय सारणी अनुसार भुगतान में चूक के परिणामों को निर्धारित करने के लिए यहाँ एक विफलता खण्ड भी था। डीआरटी द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार एक आदेश पारित किया गया। निर्विवादित रूप से भुगतान में कुछ चूक हुई थी। अपीलार्थी बैंक द्वारा यह आधार उठाया गया कि चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा समझौते की

शर्तों की पालना नहीं की गई है इसलिए वह सम्पूर्ण डिक्रीत राशि की वसूली का हकदार है।

4. समय सीमा में भुगतान नहीं किये जा सकने के संबंध में कठिनाईयों को दर्शाते हुये उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में लिया गया कि यद्यपि प्रत्यर्थी की ओर से कुछ चूक हुई थी, पूर्ण राशि का भुगतान चूक अवधि के लिए 45,000/-रूपये के ब्याज के साथ 12 जुलाई, 2004 तक कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि कठिनाईयाँ वास्तविक थी। प्रतिवादी द्वारा समझौते के अनुसार तय सम्पूर्ण राशि का भुगतान करके चूक राशि का भी भुगतान करके अपनी सद्भाविकता साबित की थी।

5. उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण था कि प्रथम किस्त का भुगतान समय में किया गया था। इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं के रुख को स्वीकार कर लिया गया और माना कि समझौते पर कार्यवाही की जानी चाहिए परन्तु बैंक को चूक अवधि के लिये 10.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलने का निर्देश दिया। उच्च

न्यायालय के आदेश के अनुसार जमा करवाई गई 20,000/-रूपये की राशि को प्रकाशन शुल्क आदि के लिये समायोजित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

6. अपील के समर्थन में अपीलार्थी बैंक के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा गलत अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम किस्त समय सीमा में दी गई थी। इसके अतिरिक्त जब रकम का भुगतान तय समय सारिणी के अनुसार नहीं किया गया था तो विफलता खण्ड लागू हो गया और उच्च न्यायालय एक दोषी की सहायता के लिए आगे नहीं आ सकता।

7. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक कारको, प्रतिवादी की सद्भाविकता पर ध्यान दिया और यहाँ तक कि ब्याज वसूलने का भी निर्देश दिया जो वास्तव में अपीलकर्ता बैंक द्वारा प्रभारित किया गया तथा भुगतान किया गया। आम तौर पर जब समझौते की शर्तों की विफलता होती है तो यदि चूक खण्ड प्रदान किया गया है तो वह

लागू होता है। इसलिए विशिष्ट विशेषताओं में अपीलकर्ता बैंक विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए दावे का निपटान करने के लिए सहमत हुआ। यह सत्य है कि उच्च न्यायालय ने यह यह गलती से दर्ज कर दिया था कि निर्धारित समय के भीतर 2,00,000/-रूपये का भुगतान किया जा चुका था। भुगतान का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	भुगतान की तारीख	राशि	भुगतान का तरीका
1.	28.12.2003	90,000/-रूपये	प्रतिवादी बैंक के पास नगद जमा किया
2.	2.1.04	20,000/-रूपये	प्रतिवादी बैंक के पास नगद जमा किया
3.	5.1.04	10,000/-रूपये	प्रतिवादी बैंक के पास नगद जमा किया।
4.	25.4.04	3,80,000/-रूपये	प्रतिवादी बैंक के पास

			नगद जमा किया
5.	12.7.04	5,00,000/-रूपये	वसूली अधिकारी के पास बैंक ड्राफ्ट के हवाले से जमा किया गया।
	कुल	10,00,000/-रूपये	

8. इसके अतिरिक्त हमने पाया कि प्रतिवादी ने चूक अवधि के लिए 45,000/-रूपये का भुगतान कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अपीलार्थी बैंक ने 29,353/-रूपये का ब्याज लगाया था। संपत्ति बेचने के लिए तीसरे पक्ष के साथ व्यवस्था की गई परन्तु बिक्री के संबंध में भुगतान सीधे बैंक को किया जाना था।

9. यह नोटेड किया गया कि अंतिम भुगतान करने से पहले किसी भी समय बैंक ने यह संकेत नहीं दिया कि समय सारणी का पालन नहीं करने से समझौता विफल हो गया।

10. उपर्युक्त स्थिति होने से भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मान सिंह मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।